R-2568-I/14

प्रति,

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

विषय: न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन सम्भाग उज्जैन म0प्र0 को प्रस्तुत अपील प्रकरण कमांक 205/98-99 अपील एवं प्रकरण कमांक 206/98-99 अपील में पारित आदेश दिनॉक 4.07.2001 के विरूद्ध अपील/पुनरीक्षण

महोदय,

सेवा में प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि प्रार्थी नीमच का निवासी है और भारत के महान संविधान का पालन करने वाला एक आम नागरिक है। प्रार्थी के द्वारा ग्राम फुसरिया तहसील सिंगोली जिला नीमच की भूमि खसरा नंबर 1389/मिन-13 रकबा 1.7 हेक्टर धारक दिनेशकुमार पिता परसराम गर्ग व भूमि खसरा नंबर 1389/मिन-12 रकबा 1.7 हेक्टर धारक नवलकिशोर पिता सुन्दरलाल महाजन के खाता खसरा नकलों के कालम नंबर 12 में अंकित प्रविष्टी " आयुक्त महो. उज्जैन के प्र.क. 5/98-99 आ0क.143री/2 दि.18/06/02 से नाम स्वीकृत" के आधार पर से उक्त भूमियों पर काबिज चले आ रहे हैं।

प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ है कि उक्त भूमि शासकीय होकर पट्टे की भूमि है, प्रार्थी दस्तावेज प्राप्त किये तो जानकारी हुई है कि उक्त दौनों व्यक्तियों के द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा सिंगोली तहसील जावद जिला नीमच के न्यायालय के प्रकरण कमांक 1/अ-19(4)/97-98 तथा प्रकरण कमांक 2/अ-19(4)/97-98 के अनुसार उक्त संदर्भित भूमियों की मॉग स्वयं का कब्जा उक्त भूमियों पर होना बताते हुए उक्त भूमियों पर निरंतर कृषि करना बताकर स्वयं को भूमिहीन और ग्राम फुसरिया का निवासी बताते हुए उक्त भूमियों को म0प्र0दखल रहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत भूमि स्वामी अधिकारों को प्रदान किये जाने की प्रार्थना की थी। तहसीलदार सिंगोली के द्वारा उक्त व्यक्तियों को ग्राम फुसरिया का निवासी न होते हुए सिंगोली का निवासी पाया गया था उक्त वर्णित भूमि पर किसी प्रकार की फसल न होकर घास होना पाया गया अर्थात् भूमि कृषिक न होकर पड़त भूमि पायी गयी और इस प्रकार से उक्त दौनों व्यक्तियों के आवेदन असत्य आधारों पर होने से उनके आवेदन निरस्त कर दिये जिसके विरूद्ध उक्त दौनों व्यक्तियों ने अनुविभागीय अधिकारी नीमच के समक्ष अपीलें कमांक 67/97-98 अपील, एवं 68/97-98 अपील प्रस्तुत की जो कि अनुविभागीय अधिकारी नीमच ने समग्र सामग्री का विवेचन करते हुए निरस्त कर दी जिसके विरूद्ध उक्त व्यक्तियों के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन सम्भाग उज्जैन म0प्र0 को प्रस्तुत की जो कि प्रकरण कमांक 205/98-99 अपील एवं प्रकरण कमांक 206/98-99 अपील पर दर्ज होकर उक्त दौनों प्रकरणों का निराकरण एक ही आदेश से दिनॉक 4.07.2001 को किया गया तथा निचले दौनों न्यायालयों के फैसले पलट दिये गये और उक्त आधार पर से उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम पर उक्त भूमियों का नामांतरण राजस्व दस्तावेजों में हो गया।

न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन सम्भाग, उज्जैन (म०प्र०)

सम्मुख : एच०एल०गोथवाल,
अपर आयुक्त,
उज्जैन सम्भाग, उज्जैन.

प्रकरण क्रमांक : 25|98-99 अपील :

दिनेशकुमार पिता परशरामजी जाति महाजन निवासी ग्राम सिंगोली तहसील जावद जिला नीमच.

— अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा सिंगोली तहसील जावद,

—रिस्पान्डेन्ट

प्रकरण क्रमांक : 26|98-99 अपील :

नवलकिशोर पिता सुन्दरलालजी भर्ग निवासी सिंगोली तहसील जावद जिला नीमच.

— अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा सिंगोली तहसील जावद जिला नीमच.

— रिस्पान्डेन्ट

अपीलार्थीगण के अभिभाषक : श्री आर०के०कंवर :

:: निर्णय ::

(दिनांक 2 जुलाई 2001)

अपीलार्थीगण ने ये दोनों अपीलें अनुविभागीय अधिकारी नीमच के प्रकरण क्रमांक 67|97-98 अपील एवं 68|97-98 अपील में पारित पृथक पृथक आदेश दिनांक 26-2-1999 के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा उन्होंने नायब तहसीलदार टप्पा सिंगोली के प्रकरण क्रमांक 1|अ-19(4)|97-98 एवं 2|अ-19(4)|97-98 में पारित आदेश दिनांक 26-6-1998 के विरुद्ध उनके समक्ष प्रस्तुत पृथक पृथक अपीलें निरस्त कर नायब तहसीलदार द्वारा पारित - आदेश यथावत कायम रखा है।

2- इन दोनों अपीलों से सम्बन्धित प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने नायब तहसीलदार टप्पा सिंगोली के समक्ष

— 2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 2568-I/14 (सुरेश / शासन) जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–6–2016	आवेदक की ओर से श्री जे.एस. जाधव, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 206/98–99 अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत उक्त शिकायती आवेदन पत्र आयुक्त, उज्जैन संभाग को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वे अपने स्तर पर जॉच कर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करें । ~~प्रकरण~~ यह नहीं रहे हैं। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	